

**ग्राम पंचायत केलांग, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का अंकेक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग—एक

- 1 प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत केलांग, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

(i) प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री ज्ञालछन ठाकुर	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिव:—

1	श्री शेर सिंह	1.4.13 से 31.3.16
---	---------------	-------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत केलांग के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना	—
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.83
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	25.94
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	12.92

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत केलांग, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 31.8.16 से 5.9.16 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 7/13, 12/14, व 8/15 तथा 8/13, 10/14 व 8/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत केलांग, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD (211)/2016-153, दिनांक 5.9.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत केलांग से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत केलांग के अवधि 4/13 से 3/16 के स्वस्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक पास बुक के आधार पर निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 (क) से (च) में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013-14	1382638.91	3110381	85017	4578036.91	3157686	1420350.91
2014-15	1420350.91	4133730	97094	5651174.91	3978439	1672735.91
2015-16	1672735.91	8132748	75853	98813369	5723824	4157512.91

ग्राम पंचायत केलांग के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(i)

Sr.No.	Name of Bank	Account No.	Amt.
1	K.C.C.	20007336875	3324862
2	K.C.C.	20007346589	10034
3	S.B.I.	33279887250	459
4	S.B.I.	33279888651	645
5	S.B.I.	33279879941	1339
6	S.B.I.	33279893003	1531

7	S.B.I.	33279890284	1004
8	S.B.I.	33279848867	369452
9	S.B.I.	33279891958	877
10	S.B.I.	11 390272794	168925.91
11	S.B.I.	33219895840	1033
12	S.B.I.	30566682859	1694
13	S.B.P.	65143941180	27429
14	S.B.P.	65163734501	248228
(Fixed Deposit)			
Total			₹4157512.91

(ii) हस्तगत राशि=₹825.00

4.1 रोकड़ बही का रख-रखाव नियमानुसार न करना:-

ग्राम पंचायत केलांग की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख-रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का निर्माण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना:-

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	दिनांक	हस्तगत राशि
1	28.6.13	1917
2	16.7.13	2017
3	18.7.13	2907
4	25.7.13	2854
5	6.8.14 से 13.8.14	1799
6	20.9.14 से 25.9.14	2874
7	26.9.14	3379

8	12.11.14 से 29.11.14	3099
9	3.12.14	9300
10	6.12.14	15759
11	9.12.14	8259
12	11.12.14	8259
13	17.11.15 से 21.11.15	3204
14	4.12.15 से 9.12.15	5429

6 बजट प्राकलन तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन फार्म-11 में तैयार न करके सामान्य रूप से कार्रवाई रजिस्टर में तैयार किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन फार्म-11 में तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹1.83 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत की स्व स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की ₹182750/- वसूली हेतु शेष थी।

(i) गृहकर (परिशिष्ट-2)

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013-14	20350	8050	28400	11300	17100
2014-15	17100	8200	25300	—	25300
2015-16	25300	8200	33500	100	33400

(ii) भवनों/दुकानों से किराया:—

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013-14	118100	106800	224900	73300	151600
2014-15	151600	106800	258400	116750	141650
2015-16	141650	106800	248450	99100	149350

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹25.94 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹2593660/- (परिशिष्ट-3) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृत पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

8.1 दिनांक 31.3.16 को बैंकों में जमा राशियों व अनुदानों की शेष राशियों में ₹1563852.91 का भारी अन्तर के बारे में:-

बैंक खातों में 31.3.16 को जमा शेष राशियों व प्राप्त अनुदानों की शेष राशियों का मिलान करने पर निम्नविवरणानुसार ₹1563852.91 का अन्तर पाया गया। अतः बैंकों में जमा अतिरिक्त ₹1563852.91 किस किस मद/स्त्रोत की है का पूर्ण विवरण तैयार करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i)	बैंक खातों में दर्शाई गई जमा राशि	₹4157512.91
(ii)	अनुदानों की प्रस्तुत विवरणी के अनुसार शेष राशि (परिशिष्ट-"3")	₹2593660.00
(iii)	अन्तर	₹1563852.91

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹12.92 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1292205/- के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
--------	------------------

1	T.A. Check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Cheque Receipt issue Register
4	Work Register
5	Fixed Deposit Register
6	Grants entry Register
7	Guest House Register
8	Consumable stock entry Register form 26
9	Certificate issue Register

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद (APR) प्रस्तुत न करना:—

मनरेगा की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 42, दिनांक 30.1.14 को खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय को ₹18000/- का भुगतान किया गया था, परन्तु इस भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः उक्त भुगतान की रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्ष:— ग्राम पंचायत केलांग की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्ट्रों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। पंचायत को शेष राजस्व की वसूली के लिए विशेष प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(viii) 2/2016-खण्ड-1-228-231 दिनांक: 18.01.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत केलांग, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.